

243/2024

24/1/24

राजस्थान अधीनस्थ/रेलवे/उपभोग पक्ष उपाययोजना।
राजस्थान के पूर्व उपाययोजना/सिमांक... 18/1/24

राजस्थान अधीनस्थ प्राधिकारी
जोधपुर

18/1/24

पञ्जा-पेसा वडुलाय उपस्थित। अधिकांश अपीलें
के अन्तर्गत कराया कि मूल कांड का निर्णय
L.C में ही किया है तथा L.C के निर्णय की
आधारित उपलब्ध करायी। रेलों. अधि. काय
सम्पत्ति प्रदान की।

लिहाजा हस्तगत करीब
दरहीन होने से खारिज की जाती है। L.C
की पञ्जा. मध्य निर्णय प्रति लोचनी जावे। पञ्जा.
नेमल सुआर होकर गेबल में रुक की जाकर
सावितल रक्तर है।

राजस्थान अधीनस्थ प्राधिकारी
जोधपुर